अप्रार्थी ने अपने जबाब प्रार्थना–पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कथन किया है कि खसरा नं. 211 में काफी अरसे पूर्व से ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सड़क बनाई जा चुकी है। सड़क मीनापाड़ा से तलावड़ा होते हुए नारायणपुर व सपोटरा जाती हैं जो वर्तमान में पक्की बनी हुई है। उक्त सड़क आम जनता के उपयोग में आ रही है। अप्रार्थी ने अपने काउन्टर टीआई में यह अंकित किया है कि भूमि खसरा नं. 233 आवादी की भूमि है। खसरा नं0 211, 212, 213, आबादी भूमि से लगती हुए है जिसमें पक्की सड़क बनी हुई है। खसर नं. 233 में अप्रार्थी के मकान पाटोल, दुपल्ला, टीनशेड बने हुए है जिनसे लगती हुई खसरा नं. 211 हैं। अप्रार्थी का आवागमन का एकमात्र रास्ता खसरा नं. 211 में है। अप्रार्थी ने अपने आबादी भूमि में बनी पाटोल पोस मकान की दीवार को बचाने के लिए खसरा नं. 211 की भूमि के सहारे नींव खोदकर पत्थर भर दिए तथा इस पर दासावन्दी करने लगा तो प्रार्थी ने अप्रार्थी को रोक दिया इसलिए सायल को जरिए हस्ताक्षर निक्षेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जाए कि वे अप्रार्थी सं. 1 के आबादी में बने हुए पाटोल पोस मकान कि दीवार को गिरने से बचाने के लिए की जा रही दासाबन्दी में किसी प्रकार की रूकावट पैदा न करे तथा खसरा नं. 211 में बने

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (राजस्थान)

रास्ते के उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा न करें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नं 211 की खातेदारी प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज है जिससे यह प्रमाणित है कि प्रार्थी भूमि का खातेदार नहीं है। इसलिए प्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा का दावा व प्रार्थना–पत्र टीआई पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी आधार पर निरस्त होने योग्य जहाँ तक काउन्टर टीआई का प्रश्न है अप्रार्थी द्वारा आबादी भूमि खसरा नं. 233 में अपनी उक्त मकान पाटोल पोस्त की दीवार को बचाने के लिए प्रार्थी की भूमि में नींव खोदकर निर्माण करना स्वयं स्वीकार किया है। अप्रार्थी द्वारा गलत रूप से प्रार्थी के पिता की भूमि में जबरन घुसकर निर्माण किया जाना स्वयं अप्रार्थी के कथनों से स्पष्ट है जिसका समर्थन किया जाना न्यायोचित नहीं हैं इसलिए काउन्टर टीआई अप्रार्थी सं. 1 निरस्त होने योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पेश की गई काउन्टर टीआई आधारहीन होने के कारण निरस्त किए जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रे
गंगापुर सिटी (स०मा०)